



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in वेब-साइट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086 / 2656357 Fax 021-2612086

क्रमांक/बैठक/2022/भाग(10)/1749

दिनांक :: 28 अक्टूबर, 2022

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक श्री कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 को मध्याह्न पश्चात् पूर्व निर्धारित समय मध्याह्न पश्चात् 4.00 बजे के स्थान पर मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे (माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा आयोजित बैठक में संभागीय आयुक्त महोदय के उपस्थित होने के कारण) आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 17 अगस्त 2022 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 17 अगस्त 2022 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः प्राधिकरण की गत बैठक दिनांक 17 अगस्त 2022 का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2022 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि करते हुए गत बैठक दिनांक 17 अगस्त, 2022 के जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के मध्य हुये एमओयू के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के मध्य हुये एमओयू की अभिशंषा की गई है।

बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम जोधपुर को अंतराष्ट्रीय स्तरीय स्टेडियम बनाने के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के उच्च अधिकारियों द्वारा बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम के नक्शे अनुसार भाग को राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन को सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया है।

जिसके संबंध में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन एवं प्राधिकरण के मध्य एमओयू का ड्राफ्ट तैयार कर प्राधिकरण पत्र दिनांक 16.09.2022 को श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया। जिसके सन्दर्भ में संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(51) नववि/जोधपुर/2022 जयपुर दिनांक 16 सितम्बर 2022 को उक्त एमओयू का अनुमोदन किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 18 सितम्बर 2022 को मुख्यमंत्री महोदय के जोधपुर प्रवास के दौरान

सचिव राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन एवं सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के मध्य निर्धारित शर्तों के अधीन बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम का एमओयू किया गया।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 के प्रस्ताव संख्या 07 में राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के मध्य एमओयू का अनुमोदन करते हुये आगामी प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतः राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के मध्य एमओयू के अनुमोदन के संबंध में प्रकरण प्राधिकरण बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान उपायुक्त-दक्षिण ने अवगत कराया कि उपरोक्त प्रस्ताव के शीर्षक में "बरकतुल्ला खॉ स्टेडियम एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन के मध्य हुये एमओयू के संबंध में" अंकित हो गया है। जो कि वास्तव में "जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मध्य बरकतुल्लाह खॉ स्टेडियम के संबंध में निष्पादित एमओयू के संबंध में" होना चाहिए। अतः तदनुसार निर्णय लिया जाना उचित होगा।

इस पर बैठक में सर्व सम्मति उपरोक्त प्रस्ताव का शीर्षक "जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के मध्य बरकतुल्लाह खॉ स्टेडियम के संबंध में निष्पादित एमओयू के संबंध में" मानते हुए प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने का निर्णय लिया गया।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से एमओयू बाबत प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014 के नियम 3 के अन्तर्गत गठित की जाने वाली समितियों के क्रम में भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति के गठन के सम्बन्ध में।

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	यह घोषणा की जाती है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014 के अन्तर्गत भूमि एवं सम्पति निस्तारण के गठन बाबत।	एजेण्डा प्राधिकरण बैठक में रखने की अभिशंषा की जाती है।

जोधपुर विकास प्राधिकरण (समितियों के गठन एवं कर्तव्य निर्धारण) विनियम, 2014 के अन्तर्गत बिन्दु नियम 3 में गठित की जाने वाली समितिया-जिसमें जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर अधिनियम की धारा 10 व अधिनियम के तत्सम्बन्धित प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण की ओर से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा 6 प्रकार की समितियों के गठन के अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति सम्मिलित हैं।

उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति का गठन निम्नानुसार किये जाने के प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण बैठक में उचित निणयार्थ प्रस्तुत हैं।

01. आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	अध्यक्ष
02. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सचिव
03. निदेशक (अभियांत्रिक), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
04. निदेशक (आयोजना), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
05. निदेशक (विधि), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
06. सम्बन्धित जोन उपायुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य
07. उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	सदस्य

नियम 4.1 में समिति के कर्तव्य/अधिकार उल्लेखित हैं।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 के प्रस्ताव संख्या 17 के अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति का गठन किये जाने हेतु कार्यकारी समिति की अनुशंसा के साथ प्रकरण आगामी प्राधिकरण बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति का गठन किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण बैठक के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार समिति गठित करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया कि उक्त समिति के सदस्य सचिव सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर होंगे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ हेतु ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 में व्यावसायिक योजना प्रस्तावित करने के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंसा/प्रस्ताव
1	श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ हेतु ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 में व्यावसायिक योजना प्रस्तावित करने के संबंध में।	श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ के लिए ग्राम आंगणवा के खसरा संख्या 98 में व्यावसायिक योजना प्रस्तावित की जा रही है।

श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर से थोक वस्त्र व्यापार हेतु भूमि चाही गई है, जिस हेतु वस्त्र व्यापार हेतु समर्पित ग्राम आंगणवा में खसरा संख्या 98 में नवीन वाणिज्यिक योजना हेतु प्रस्तावित की जा रही है। यह जोधपुर से 15 कि.मी. दूर ग्राम आंगणवा, जिला जोधपुर के नागौर-जयपुर बाईपास के समीप स्थित है। ग्राम आंगणवा के खसरा सं 98 में किस्म गै.मु पहाड़ में मे रकबा 159.13 बीघा मे से 63 बीघा में व्यावसायिक योजना प्रस्तावित की जा रही है। उक्त योजना की आरक्षित दर 40000/- (चालीस हजार) रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है। आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 9.9.2022 को किया गया है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार ग्राम आंगणवा के खसरा सं 98 में रकबा 159.13 बीघा भूमि किस्म गै.मु. पहाड़ जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर उक्त खसरे में कुछ भाग समतल भूमि है तथा अधिकांश भूमि पहाड़-पठार है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार Hilly and rocky region में आरक्षित है। मास्टर

डवलपमेंट प्लान-2031 के बि.स. 59 अनुसार जोधपुर में स्थित पहाड़िया सरक्षण हेतु 15 डिग्री से ज्यादा ढलान वाली पहाड़िया के चारो तरफ 50 मी. Hill Conservaction Zone को Plantation belt के रूप में आरक्षित रखना होगा। मास्टर डवलपमेंट प्लान में दर्शित Hilly and rocky में स्थित भूमियो की मौके पर 15 डिग्री से कम ढलान है तो Residential DCR में उल्लेखित उपयोग अनुज्ञेय किए जा सकेंगे। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम आंगणवा के खसरा सं 98 में कोई वाद विवाद लम्बित नही है। भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 7/2022 की बैठक (जोन उत्तर) दिनांक 24.08.2022 के प्रस्ताव संख्या 02 में ले-आउट का अनुमोदन किया गया।

उक्त योजना में भूखण्डो का विवरण निम्नानुसार हैं:-

क्र.स	भूखण्ड साईज	भूखण्ड
1.	4 M X 9M	676
2.	5 M X 7M	02
3.	6 M X (10 TO 13)M	015
4.	IRREGULAR PLOTS	126
	TOTAL COMMERCIAL PLOTS	819

उक्त योजना में INFORMAL SHOPS निम्नानुसार है :-

क्र.स	भूखण्ड साईज	भूखण्ड
1.	3 M X 3 M	044
2.	2 M X 3 M	065
	IRREGULAR SHOPS	014
	TOTAL INFORMAL SHOPS	123

उक्त योजना व्यावसायिक योजना है जिसमे कॉर्नर भूखण्डो को छोड़कर शेष व्यावसायिक भूखण्डो हेतु लॉटरी किया जाना प्रस्तावित है।

अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम 2009 के नियम 39 व 40, राजस्थान शहरी भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 8 (i) & (ii), नियम (9), नियम (10) एवं नियम 15 के अन्तर्गत प्रस्तावित इस योजना में कॉर्नर भूखण्डों को छोड़कर अन्य सभी व्यावसायिक भूखण्ड को लॉटरी द्वारा निस्तारित किया जाना है, अतः राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही व्यावसायिक योजना होने के कारण आरक्षित दर से कम कीमत पर भूखण्डों का निष्पादन न करने के बिन्दु पर भी राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी अपेक्षित है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.9.2022 के प्रस्ताव संख्या 26 में प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त योजना श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ के निवेदन पर प्रस्तावित की गई है। अतः इसमें इस संघ (श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ) से रजिस्टर्ड वस्त्र व्यापारी ही आवेदक होंगे। वर्ग विशेष (श्री जोधपुर वस्त्र व्यापार संघ) हेतु आरक्षित इस योजना हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी प्रस्तावित है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.9.2022 के प्रस्ताव संख्या 26 पर उक्त प्रस्ताव स्वीकृत है। उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह निर्णय भी लिया गया कि कॉर्नर भू-खण्डों की खुली नीलामी की जायेगी जिसमें वस्त्र व्यापार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति/व्यापारी भाग ले सकेगा।

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.12 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort योजना प्रस्तावित करने के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.62 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort योजना प्रस्तावित करने के संबंध में।	राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.62 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort योजना प्रस्तावित की जा रही है।

राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33, 51 व 52 रकबा 203.12 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort हेतु भूमि चाही गई है, जिस हेतु Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort हेतु समर्पित ग्राम उजलिया में खसरा संख्या 33, 51 व 52 में प्रस्तावित की जा रही है। यह जोधपुर से 25 कि.मी. दूर ग्राम उजलिया, जिला जोधपुर में स्थित है। राजस्व ग्राम उजलिया के खसरा संख्या 33 गै.मु मगरा 51 गै.मु मगरा व 52 गै.मु भाकर में से 203.12 बीघा में Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort योजना प्रस्तावित की जा रही है। उक्त योजना की आरक्षित दर 4600/- (चार हजार छः सौ) रुपये प्रति वर्गमीटर रखी गई है। आम सूचना का प्रकाशन दिनांक 15/9/2022 को किया गया है।

पटवारी रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम उजलिया तहसील बावड़ी के खसरा संख्या 33 गै.मु मगरा रकबा 18.4290 हैक्टेयर 51 गै.मु मगरा रकबा 72.8909 हैक्टेयर व 52 गै.मु भाकर रकबा 53.5315 हैक्टेयर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 33 व 51 में कच्चे मकान, झुपड़े थान व पानी की टंकिया बनी हुई है। वर्तमान में योजना उक्त क्षेत्र को छोड़ते हुए तैयार की गई है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार Marked location का भू-उपयोग मास्टर प्लान-2031 अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम उजलिया के खसरा सं 51, 52 व 33 में कोई वाद विवाद लम्बित नहीं है।

उक्त योजना में भूखण्डों का विवरण निम्नानुसार हैं:-

1.	RESORT SINGLE PLOT	01
2.	AMUSEMENT PARK SINGLE PLOT	01
3.	ECO FRIENDLY HOUSING PLOTS	34
4.	FARM HOUSE PLOTS	61
	TOTAL PLOTS	97

जोधपुर विकास प्राधिकरण, अधिनियम 2009 के नियम 39 व 40, राजस्थान भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 8 (i) & (ii), नियम (9), नियम (10) एवं नियम 15 के अन्तर्गत यह योजना प्रकार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.9.2022 के प्रस्ताव संख्या 26 में प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित की गई है। उक्त योजना मिश्रित प्रकार की योजना है जिसमें कॉर्नर भूखण्डों को छोड़कर शेष भूखण्डों हेतु लॉटरी किया जाना प्रस्तावित है। अतः राज्य सरकार से स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस योजना के भूखण्ड 1000 वर्ग मी. से बड़े होने के कारण एवं योजना विलासित पूर्ण (luxury) होने के कारण नियम 17 (4) के तहत आरक्षित दर से कम कीमत पर भूखण्डों का निष्पादन न करने बिन्दु पर भी राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी अपेक्षित है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.9.2022 के प्रस्ताव संख्या 27 में प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण राज्य सरकार को कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया है।

Farm House Scheme, Eco-Friendly Housing Scheme, Amusement Park & Resort हेतु आरक्षित इस योजना हेतु राज्य सरकार से स्वीकृति ली जानी प्रस्तावित है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.9.2022 के प्रस्ताव संख्या 26 पर उक्त प्रस्ताव स्वीकृत है। उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण की बैठक के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: नवीन व्यावसायिक योजना खसरा संख्या 701 ग्राम चौखा के संबंध में।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	नवीन व्यावसायिक योजना खसरा संख्या 701 ग्राम चौखा की आरक्षित दर व नामकरण सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु अभिशंषा की जाती है।

ले-आउट प्लान दिनांक 23/03/2022 के एजेण्डा संख्या 07 अनुसार ले-आउट प्लान स्वीकृत किया गया। नगरीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों एवं राजस्थान (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के प्रावधानों के अन्तर्गत नवीन आरक्षित दरों के निर्धारण हेतु सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की दिनांक 22/09/2022 को आयोजित की गई। जोन वार सम्बन्धित क्षेत्र की भूमियों की प्रचलित वर्तमान डी.एल.सी. दर वास्तविक बाजार दर एवं अन्य नगरीय विकास संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आरक्षित दर निर्धारण समिति के निर्णय अनुसार योजना की आरक्षित दर 25290/- रुपये प्रति वर्गमीटर अनुमोदित की गई है। योजना में विभिन्न माप के कुल 90 व्यवसायिक भूखण्ड हैं।

ग्राम चौखा के खसरा संख्या 701 में कुल क्षेत्रफल 10 बीघा 08 बिस्वा भूमि का व्यवसायिक योजना लांच की जानी है। जिसमें भूखण्डों का आवंटन निलामी द्वारा किया जाना है। उक्त योजना की आरक्षित दर 25290/- रुपये प्रति वर्गमीटर एवं उक्त योजना का नामकरण चौखा व्यावसायिक



योजना किया जाने की सक्षम स्वीकृति/अनुमोदनार्थ हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: होटल जोन में विभिन्न गतिविधियाँ अनुज्ञेय किए जाने, कृषि आधारित उद्योग के मापदण्ड निर्धारित किए जाने तथा सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग/गोदाम के जोन चिन्हिकरण किए जाने के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	होटल जोन में विभिन्न गतिविधियाँ अनुज्ञेय किए जाने, कृषि आधारित उद्योग के मापदण्ड निर्धारित किए जाने तथा सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग/गोदाम के जोन चिन्हिकरण किए जाने के संबंध में।

01. होटल जोन में विभिन्न गतिविधियाँ अनुज्ञेय किए जाने के संबंध में :-

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में विभिन्न स्थानों पर होटल जोन प्रस्तावित किए गए हैं। मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के साथ संलग्न डी.सी.आर. में होटल जोन की पृथक से डी.सी.आर. उपलब्ध नहीं है जिसके कारण होटल जोन में अन्य अनुमत उपयोगों के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है। अतः मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031/जोनल डवलपमेंट प्लान में आरक्षित होटल जोन में होटल प्रयोजन से संबंधित निम्न गतिविधियाँ अनुज्ञेय किया जाना प्रस्तावित है :-

होटल जोन में अनुज्ञेय किए जाने वाली गतिविधियाँ	
होटल	मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल
रिसोर्ट	फिल्म सिटी
रिसोर्ट हाउसिंग	गेस्ट हाउस
वाणिज्यिक मॉल	जिला वाणिज्यिक केन्द्र
वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स	क्लब/पब
बैंक	हॉलिडे कॉटेज
रेस्टोरेन्ट	मोटल
मेरिज गार्डन	कन्वेंशन सेन्टर
बैंक्वेट हॉल	फिटनेस सेन्टर
फ्यूल फिलिंग स्टेशन/पेट्रोल पम्प	सरकारी/जन उपयोगी सुविधाएँ
एम्यूजमेन्ट/वॉटर पार्क (कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 के एजेण्डा संख्या 08 में लिये गये निर्णय अनुसार)	

उपरोक्त उपयोगों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड/प्रचलित भवन विनियम अनुसार सडक मार्गाधिकार तथा आवश्यक न्यूनतम क्षेत्रफल का प्रावधान सुनिश्चित करते हुए

कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही उपरोक्त अनुज्ञेय गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों की अनुज्ञेयता के संबंध में व्यापक जनहित में बी.पी.सी (एल.पी.) द्वारा इस संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

02. कृषि आधारित उद्योग हेतु मापदण्ड :-

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.09.2020 को जारी आदेश में शहरों में प्रभावी व प्रारूप मास्टर प्लान में प्लान्टेशन बैल्ट, ईकोलोजिकल जोन व ईकोसेन्सेटिव जोन, रिक्रिएशन जोन (पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि) को छोड़कर अन्य सभी भू-उपयोग में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि प्रोत्साहन नीति 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 और इसी अनुरूप स्थापित होने वाले उद्योग अनुज्ञेय किए गए हैं, जिसके कारण आवासीय क्षेत्रों के मध्य कृषि आधारित उद्योग स्थापित होने एवं प्रस्तावित कृषि आधारित उद्योगों हेतु पहुँच मार्ग आवासीय योजनाओं एवं ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के मध्य से पहुँच मार्ग होने की स्थिति में उक्त आबादी क्षेत्रों में यातायात एवं प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी एवं आम-जन में आक्रोश व्याप्त होने की सम्भावना बनी रहेगी। अतः आवासीय क्षेत्रों में सुगम यातायात एवं वाहन प्रदूषण की दृष्टि से प्रस्तावित कृषि आधारित उपयोग हेतु आवेदित भूमि को अनुमोदित आवासीय योजना की सड़क से, सघन आबादी क्षेत्र के मध्य से पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही अनुज्ञेय किया जाना प्रस्तावित है।

03. सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग/गोदाम के जोन चिन्हिकरण किए जाने के संबंध में :-

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20.08.2020 को जारी अधिसूचना में टाउनशिप पॉलिसी 2010 में नये प्रावधान संख्या 06.09 में सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग व गोदाम हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। उक्त प्रावधान अनुसार सामान्य वेयर हाउसिंग/गोदाम उपयोग तथा कृषि आधारित वेयर हाउसिंग/ गोदाम उपयोग मास्टर प्लान में प्रतिबंधित भू-उपयोग जैसे इको सेन्सेटिव जोन, प्लान्टेशन जोन एवम् इको लॉजिकल जोन को छोड़कर अन्य सभी उपयोगों में अनुज्ञेय किये गये हैं। साथ ही समस्त नगरीय निकायों को संबंधित शहर हेतु प्रभावी मास्टर प्लान के अनुसार वेयर हाउसिंग/गोदाम हेतु जोनों का चिन्हिकरण किये जाने का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है जिसके क्रम में जोन चिन्हिकरण हेतु निम्न प्रस्तावानुसार कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है:-

1. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में आरक्षित ओ.सी.एफ., जन-सुविधाएँ, पब्लिक/सेमी पब्लिक उपयोग, सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय, होटल कॉम्प्लेक्स, सरकारी आरक्षित क्षेत्र, पार्क/खुला क्षेत्र एवं प्ले-ग्राउण्ड, वृक्षारोपण, कोर फेसिलिटी क्षेत्र, हिली एवं रॉकी क्षेत्र, रेलवे स्टेशन यार्ड, बस स्टेण्ड आदि को छोड़कर अन्य सभी उपयोगों में न्यूनतम 24 मीटर व इससे अधिक सड़क मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय किये जाने प्रस्तावित है। साथ ही कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 के एजेण्डा संख्या 08 में लिये गये निर्णय अनुसार 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के वाणिज्यिक गोदामों को 18 मीटर सड़क पर अनुज्ञेय किया जाना प्रस्तावित है।
2. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 में विभिन्न उपयोगों की डी.सी.आर. में वेयरहाउस/गोदाम अनुज्ञेय किये गये हैं। उक्तानुसार ही सड़कों की चौड़ाई आरक्षित करते हुए कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।
3. ग्रामीण आबादी एवं उसके चारों ओर 500 मीटर की दूरी को छोड़कर शेष क्षेत्र में (उपरोक्तानुसार प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर) अनुज्ञेय किये जाने प्रस्तावित है।
4. सामान्य/एग्रो वेयर हाउसिंग/गोदाम प्रयोजनार्थ भूखण्डों में अग्निसुरक्षा बाबत सुरक्षात्मक दूरी हेतु अन्य उपयोगों से न्यूनतम 9 मीटर सेटबैक का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।
5. उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रावधान हेतु व्यापक जनहित में बी.पी.सी (एल.पी.) द्वारा निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 के एजेण्डा संख्या 08 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें आंशिक संशोधनों के सहित प्रस्तावों का अन्तिम रूप दिये जाने हेतु आगामी प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण प्राधिकरण बैठक के समक्ष अवलोकनार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया। साथ ही होटल जोन में अनुज्ञेय गतिविधियों तथा सामान्य / एग्रीवेयर हाउसिंग/ गौदाम के जोन चिन्हिकरण बाबत प्रेषित प्रस्ताव हेतु आमजन से 15 दिवस की आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 व दक्षिण जोन (जोन एस-2) के अनुमोदित जोनल डवलपमेन्ट प्लान में राजस्व ग्राम बोरानाडा, सालावास व तनावड़ा में रीको क्षेत्र में स्थित जी.एस.एस से बोरानाडा-सालावास रोड एवम् जोधपुर- सालावास के मध्य स्थित प्रस्तावित 48 मीटर सडक को विलोपित करते हुए उत्तर दिशा में स्थित 132 के.वी. एच.टी. लाईन के सहारे शिफ्ट किए जाने के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 व दक्षिण जोन (जोन एस-2) के अनुमोदित जोनल डवलपमेन्ट प्लान में राजस्व ग्राम बोरानाडा, सालावास व तनावड़ा में रीको क्षेत्र में स्थित जी.एस.एस से बोरानाडा-सालावास रोड एवम् जोधपुर- सालावास के मध्य स्थित प्रस्तावित 48 मीटर सडक को विलोपित करते हुए उत्तर दिशा में स्थित 132 के.वी. एच.टी. लाईन के सहारे शिफ्ट किए जाने के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 17.02.2021 को प्राधिकरण की बैठक में मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 का अनुमोदन किया गया तथा दक्षिण जोन (एस-2) के जोनल डवलपमेन्ट प्लान का अनुमोदन प्राधिकरण की बैठक दिनांक 02.11.2021 में करते हुए दिनांक 09.11.2021 को अधिसूचित किया गया। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 व जोनल डवलपमेन्ट प्लान में राजस्व ग्राम बोरानाडा, सालावास व तनावड़ा में प्रस्तावित 48 मीटर सडक के एलाईनमेंट में संशोधन किये जाने हेतु विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उक्त 48 मीटर सडक को उत्तर दिशा में गुजर रही 132 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे शिफ्ट किए बाबत निवेदन किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन एवं उनके संबंध में प्राप्त राय/मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश का विवरण निम्नानुसार है:-

- श्री अभय कुमार जैन एवं अन्य द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08.02.2022 में निवेदन किया गया है कि मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031, जो कि वर्ष 2014 में जारी हुआ था उसमें 132 के.वी. एच.टी. लाईन को 48 मीटर प्रस्तावित रोड के साथ ही रखा गया था परंतु जोनल डवलपमेन्ट प्लान में इन्हें अलग-अलग कर दिया गया है। उक्त प्रस्तावित मार्ग पर आने वाले विभिन्न खसरो पर नगर सुधार न्यास एवं जो.वि.प्रा. द्वारा रूपान्तरण कर रखा है जो कि कमिटमेंट्स की श्रेणी में आता है। रीको द्वारा आवंटित औद्योगिक भूखण्डों पर भी निर्माण हो चुका है। अतः एस-2 के जोनल प्लान में मास्टर प्लान की 48 मीटर प्रस्तावित रोड को 132 के.वी. एच.टी. लाईन के नीचे प्रस्तावित मार्गाधिकार में समाहित करते हुए जोनल प्लान में संशोधन करवाया जावे क्योंकि 70-100 मीटर

समान्तर दूरी पर 2 बड़े मार्ग व्यावहारिक प्रस्ताव नहीं है। अतः मास्टर प्लान में 48 मीटर प्रस्तावित सड़क मूर्त रूप ले सकें तथा एच.टी. लाईन के प्रावधान भी लागू किये जा सकें।

02. श्री रमेश छाजेड द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 04.07.2022 में निवेदन किया गया है कि 48 मीटर प्रस्तावित रोड के विभिन्न खसरों पर पट्टे जारी किये जा चुके हैं जो कि कमिटमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। 48 मीटर प्रस्तावित सड़क कभी भी मूर्त रूप नहीं ले पायेगा इसलिए प्राधिकरण द्वारा जारी एस-2 के जोनल प्लान में संशोधन कर उक्त प्रस्तावित 48 मीटर मास्टर प्लान रोड को 132 के. वी. एच.टी. लाईन के साथ ही नियोजित कर दिया जावे ताकि मास्टर प्लान प्रस्तावित 48 मीटर रोड मूर्त रूप ले सकें एवं खसरा संख्या 43/2 ग्राम सालावास के ले-आउट प्लान में इसका अंकन नहीं किया जावे।

03. श्री ओमाराम पटेल, सरपंच, ग्राम पंचायत सालावास द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.07.2022 में निवेदन किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा जोनल प्लान अनुमोदित किये जाने से पूर्व उक्त प्रस्तावित मार्ग के मार्गाधिकार पर 90/ए के तहत कार्यवाही कर कई खसरों के पट्टे जारी कर चुका है जिससे उक्त प्रस्तावित मार्ग को मौके पर मूर्त रूप देना सम्भव नहीं है। अतः प्रस्तावित 48 मीटर मास्टर प्लान सड़क को 132 के.वी. के साथ ही रखा जावे ताकि मास्टर प्लान में 48 मीटर प्रस्तावित सड़क मूर्त रूप ले सकें तथा एच.टी. लाईन के प्रावधान भी लागू किये जा सकें।

04. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 22.07.2022 के द्वारा श्री ओमाराम पटेल, सरपंच, ग्राम पंचायत सालावास द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.07.2022 में उल्लेखित तथ्यों/कमिटमेंट्स आदि का परीक्षण कर प्रश्नगत मास्टर प्लान की 48 मीटर सड़क के संबंध में एस-2 के जोनल डवलपमेंट प्लान में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.07.2022 की पालना में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु सूचित किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.07.2022 के अनुसार शहरों के अन्दर के राष्ट्रीय/राज्य मार्ग व अन्य सड़कों के मार्गाधिकार पुनः निर्धारण कर पट्टे देने के संबंध में प्रावधान निर्धारित किये गये हैं।

05. श्री अभय जैन व अन्य द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08.02.2022 एवं श्री रमेश छाजेड द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 04.07.2022 के संदर्भ में सड़क एलाईनमेंट एवं इससे संदर्भित भू-उपयोग निर्धारण किये जाने हेतु उचित मार्गदर्शन राज्य सरकार से प्राप्त करने पर नगरीय विकास विभाग के पत्र दिनांक 22.08.2022 से निम्नानुसार राय प्राप्त हुई है: जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009 की धारा 25 के अनुसार जोविप्रा मास्टर प्लान/जोनल प्लान में संशोधन हेतु सक्षम है। अतः जोधपुर विकास प्राधिकरण स्तर से ही परीक्षण कर प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिया जावे।

राज्य सरकार व कार्यालय मुख्य नगर नियोजक राजस्थान से प्राप्त राय/मार्गदर्शन/दिशा-निर्देश अनुसार श्री अभय कुमार जैन एवं अन्य द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 08.02.2022 तथा श्री ओमाराम पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत सालावास द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14.07.2022 का परीक्षण किया गया एवं वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

01. प्रश्नगत सड़क रीको क्षेत्र में स्थित जी.एस.एस से बोरानाडा-सालावास रोड एवम् जोधपुर-सालावास के मध्य स्थित है तथा प्रश्नगत सड़क मार्गाधिकार में अधिकांश भूमि मौके पर रिक्त है। बोरानाडा-सालावास रोड के जंक्शन पर निर्मित भवन, जोधपुर-सालावास रोड के जंक्शन के समीप प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एकल भूखण्ड से एवं रीको क्षेत्र में भी निर्मित भवनों से प्रभावित है।

02. प्रश्नगत सड़क में राजस्व रिकॉर्ड व गूगल मानचित्र अनुसार क्रमशः कोई कटाण रास्ता तथा विद्यमान सड़क नहीं है। मौके पर रिक्त है।

03. प्रश्नगत सड़क जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार नगरीयकरण योग्य क्षेत्र व परिधि नियन्त्रण पट्टी को विभाजित करती है। उक्त सड़क आर्टेरियल सड़क एवं बाहरी रिंग रोड का भाग है, जिसका मार्गाधिकार जोधपुर मास्टर प्लान-2023 अनुसार 48 मीटर निर्धारित है।

04. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 जी.आई.एस. आधारित तकनीक से तैयार किया गया है जिसमें उक्त सड़क को यथावत प्रस्तावित किया गया है तथा सड़क का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के अनुसार 48 मीटर निर्धारित है।

05. जोनल डवलपमेंट प्लान (एस-2) के प्रकाशन से पूर्व प्रारूप जोनल डवलपमेंट प्लान (एस-2) पर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये थे, जिसमें प्रश्नगत सड़क को मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के प्रस्तावानुसार यथावत प्रस्तावित किया गया था। आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के दौरान प्रश्नगत सड़क के एलाईनमेंट में संशोधन किये जाने के संबंध में आपत्ति संख्या 67 (श्री मगराज छाजेड), 85 (श्री अभय कुमार जैन), 87 (श्री पूनाराम), 58 (श्री हीरालाल मेघवाल, माननीय विधायक,

- बिलाडा), 59(a) (कार्यालय ग्राम पंचायत, सालावास) द्वारा प्रश्नगत सड़क को हटाये जाने एवं सड़क का एलाईनमेंट समीप गुजर रही 132 के.वी. की एच.टी. लाईन के साथ समाहित किये जाने हेतु आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे परीक्षण उपरांत प्राधिकरण की कार्यकारी समिति एवं बोर्ड बैठक में निरस्त किया जाकर प्रश्नगत सड़क का एलाईनमेंट मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रस्ताव अनुसार यथावत रखा गया।
06. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान (एस-2) के अनुसार प्रश्नगत सड़क के उत्तर दिशा में आवासीय, थोक व्यापार व औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग एवं दक्षिण दिशा में औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग आरक्षित है।
 07. विद्यमान भू-उपयोग मानचित्र-2013 में प्रश्नगत 132 के.वी. की एच.टी. लाईन को नहीं दर्शाया गया था तथा मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 के प्रारूप में भी 132 के.वी. एच.टी. लाईन को 48 मीटर प्रस्तावित रोड के साथ प्रस्तावित नहीं किया गया था।
 08. प्रश्नगत सड़क (रीको क्षेत्र में स्थित जी.एस.एस से बोरानाडा-सालावास रोड एवम् जोधपुर-सालावास के मध्य) के उत्तर दिशा में 132 के.वी. की एच.टी. लाईन गुजर रही है जिसके सहारे-सहारे जोनल डवलपमेंट प्लान (एस-2) में सड़क मार्गाधिकार प्रस्तावित नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 17.06.2022 को जारी दिशा-निर्देश अनुसार 132 के.वी. की एच.टी. लाईन हेतु कुल सेपटी कॉरीडोर 13.8 मीटर तथा कुल आर.ओ.डब्ल्यू. 27.0 मीटर निर्धारित है। प्रश्नगत सड़क के उत्तर दिशा में गुजर रही 132 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे शिफ्ट किए जाने पर मार्गाधिकार 48 मीटर के स्थान पर 27 मीटर ही प्राप्त होता है, जो कि नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है।
 09. प्रश्नगत सड़क एवं एच.टी. लाईन के मध्य दूरी लगभग 0-600 मीटर है। 132 के.वी. की एच.टी. लाईन के सेपटी कॉरीडोर के उपरांत दोनों तरफ 24-24 मीटर (कुल 48 मीटर) मार्गाधिकार प्रस्तावित किये जाने की स्थिति में मार्गाधिकार के अन्दर जोधपुर-सालावास सड़क एवं बोरानाडा-सालावास सड़क के जंक्शन पर गूगल मानचित्र अनुसार भवन निर्मित है।
 10. संदर्भित प्रतिवेदन द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित 48 मीटर सड़क के मार्गाधिकार में प्राधिकरण द्वारा पूर्व में जोधपुर मास्टर प्लान-2023 के प्रस्ताव अनुसार किए गए कमिटमेंट्स आ जाने की वजह से एलाईमेंट में संशोधन करने बाबत निवेदन किया है। प्रश्नगत सड़क पर पूर्व में ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 26/42, 26/43 व 26/44 के कमिटमेंट्स किये गए हैं जिनका भू-उपयोग परिवर्तन पूर्व में दिनांक 29.01.2008 को आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ किया गया था। उल्लेखनीय है कि आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के दौरान श्री मगराज छाजेड द्वारा खसरा संख्या 26/42, 26/43 व 26/44 के कमिटमेंट के परिप्रेक्ष्य में मास्टर प्लान की प्रस्तावित 48 मीटर सड़क को हटाये जाने बाबत आपत्ति प्रस्तुत की गयी थी, जिसे परीक्षण उपरांत प्राधिकरण की कार्यकारी समिति एवं बोर्ड बैठक में निरस्त किया जाकर प्रश्नगत सड़क का एलाईनमेंट मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 एवं जोनल डवलपमेंट प्लान के प्रस्ताव अनुसार यथावत रखा गया।
 11. श्री रमेश छाजेड द्वारा प्राधिकरण में प्रस्तुत राजस्व ग्राम सालावास के खसरा संख्या 43/2 का 90/क के तहत कृषि से अकृषि रूपान्तरण के उपरांत भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.) द्वारा प्रश्नगत सड़क को यथावत रखते हुए ले-आउट प्लान अनुमोदित किया जा चुका है।
 12. जोनल डवलपमेंट प्लान (प्रारूप) में प्रश्नगत सड़क के पूर्व दिशा में जोधपुर-सालावास सड़क से लगते हुए पूर्व में किये गये ग्राम तनावड़ा के खसरा संख्या 26/42, 26/43 व 26/44 के कमिटमेंट के आधार पर सड़क के एलाईनमेंट में परिवर्तन तथा सर्किल को विलोपित किया गया था परंतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने के दौरान श्री राजेश चुंगलानी (आपत्ति संख्या 69) व श्री उम्मेदराम, बिरदाराम (आपत्ति संख्या 70) द्वारा आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर जोनल डवलपमेंट प्लान (प्रारूप) में प्रस्तावित संशोधन को निरस्त कर प्रश्नगत सड़क का एलाईनमेंट मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 अनुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति एवं बोर्ड बैठक द्वारा पूर्व की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया।
 13. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.02.2009 को जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 20 व 21 अनुसार "किसी भी शहर/कस्बे के मास्टर प्लान एवं ड्राफ्ट मास्टर प्लान के अनुमोदित होने के बाद 2 वर्षों तक भू-उपयोग परिवर्तन केवल राज्य सरकार के स्तर पर किया जा सकेगा। साथ ही किसी भी

शहर/कस्बे के अनुमोदित मास्टर प्लान का प्रत्येक 5 वर्ष में पुर्नरावलोकन किया जाकर आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

14. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.04.2010 को जारी परिपत्र के प्रावधान संख्या 4.1 अनुसार "किसी भी शहर के प्रारूप/फाइनल मास्टर प्लान के अनुमोदन से 2 वर्ष की अवधि तक किसी प्रकार का भू-उपयोग परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रत्येक मास्टर प्लान का 5 वर्ष बाद पुर्नरावलोकन किया जाकर आवश्यक संशोधन किया जा सकेगा।

पूर्व में प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2022 में सडक के एलाईनमेंट में संशोधन किये जाने हेतु एक अन्य प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 20) जो कि प्रश्नगत सडक के उत्तर दिशा में लगते हुए है, में निम्नानुसार निर्णय लिया जा चुका है: "बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि समान प्रकृति के अन्य प्रकरण भी लम्बित हो सकते हैं। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों का चिन्हिकरण कर उन समस्त प्रकरणों का परीक्षण कर सारगर्भित रिपोर्ट के साथ समस्त प्रकरणों को एक साथ ही आगामी बैठक में विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।"

राज्य सरकार के पत्र दिनांक 22.08.2022 द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन के क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम-2009 की धारा 25 के अनुसार जोविप्रा मास्टर प्लान/जोनल प्लान में संशोधन हेतु प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लिये जाने से पूर्व कार्यकारी समिति के समक्ष उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिन्दुओं पर विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है :-

01. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को वर्तमान में प्रस्तावित स्थान से हटाकर उत्तर दिशा में 132 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे स्थानान्तरण किये जाने।
02. 132 के.वी. की विद्युत लाईन के आर.ओ.डब्ल्यू. का निर्धारण किये जाने के संबंध में।
03. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की प्रस्तावित 48 मीटर सडक को वर्तमान में प्रस्तावित स्थान से विलोपित किये जाने के उपरांत उक्त क्षेत्र के भू-उपयोग का निर्धारण किए जाने के संबंध में।
04. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को विलोपित किए जाने की स्थिति में नियोजन की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र एवम् आवासीय क्षेत्र के मध्य ग्रीन बफर रखे जाने एवम् इसकी चौड़ाई निर्धारण किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30.09.2022 के एजेण्डा संख्या 09 में प्रस्तुत किया गया। जिसमें निम्नांकित निर्णय लिया गया -

01. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को विलोपित करते हुए उत्तर दिशा में 132 के.वी. की विद्युत लाईन के नीचे नियमानुसार 13.8 मीटर का सेपटी कॉरीडोर रखते हुए दोनों ओर 24-24 मीटर (48 मीटर सडक हेतु) सडक मार्गाधिकार रखा जावे।
02. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की प्रस्तावित 48 मीटर सडक को वर्तमान में प्रस्तावित स्थान से विलोपित किये जाने के उपरान्त औद्योगिक व आवासीय भू-उपयोग के प्रतिशत में परिवर्तन नहीं होने के दृष्टिगत उक्त क्षेत्र में आवासीय भू-उपयोग प्रस्तावित किया जावे।
03. मास्टर डवलपमेंट प्लान-2031 की प्रस्तावित प्रश्नगत 48 मीटर सडक को विलोपित किए जाने की स्थिति में नियोजन की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्रों एवं आवासीय क्षेत्रों के मध्य ग्रीन बफर हेतु सेटबेक का निर्धारण नियमानुसार ले-आउट प्लान अनुमोदन करते समय निर्धारित किया जावे।
04. उपरोक्त प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे तथा अनुमोदन उपरान्त विज्ञप्ति जारी कर आम-जन से आपित्त/सुझाव आमंत्रित किये जाने की नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
05. प्राधिकरण की आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने से पूर्व मास्टर प्लान में संशोधन किये जाने के संबंध में कोई विधिक रोक नहीं है, इस बाबत विधि शाखा से रिपोर्ट भी प्राप्त की जावे।

उपरोक्त कार्यकारी समिति के निर्णय की अनुपालना में बिन्दु संख्या 01 से 03 के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर "परिशिष्ट-1" पर संलग्न है तथा बिन्दु संख्या 05 के क्रम में विधि शाखा की रिपोर्ट "परिशिष्ट-2" पर संलग्न है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समिति के समक्ष अवलोकनार्थ व उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान बैठक में उपस्थित निदेशक-विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 9914/2019 में दिनांक 7 मई, 2019 को मास्टर डवलपमेंट प्लान में संशोधन के संबंध में "In the meantime, the parties are directed to maintain status quo, as it exists today" का आदेश पारित किया गया है। बैठक के दौरान माननीय महापौर श्रीमती कुन्ती परिहार द्वारा भी उक्त प्रस्ताव व्यापक जनहित में होने एवं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी मांग किये जाने के कारण संशोधन की कार्यवाही किये जाने में सहमति व्यक्त की गई। विचार विमर्श उपरान्त सर्व सम्मति से नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा दिनांक 22 अगस्त, 2022 को प्रेषित मार्गदर्शन एवं व्यापक जनहित में समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव पारित किये गये:-

1- मास्टर डवलपमेंट प्लान में संशोधन के संबंध में माननीय उच्चतम/उच्च न्यायालय से किसी भी प्रकार की विधिक रोक नहीं है, के संबंध में राज्य सरकार से राय प्राप्त की जावे।

2- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2009 को जारी परिपत्र के बिन्दु संख्या 20 व 21 एवं परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल, 2010 के प्रावधान संख्या 4.1 के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन/संशोधन के संबंध में शिथिलता हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

3- मास्टर/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रश्नगत सडक को विलोपित करने एवं उसके स्थान पर एच.टी. लाईन के नीचे सडक स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में प्रेषित प्रस्ताव हेतु जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 25 (4) के तहत आमजन से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय के सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय के सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने के संबंध में।

बी.पी.सी एल.पी की बैठक दिनांक 15.02.2022 के एजेण्डा संख्या 03 में राजस्व ग्राम मण्डोर-द्वितीय के खसरा संख्या 72/5/1 रकबा 01.10.00 बीघा के औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि के आस-पास स्थित सडकों के निर्धारण हेतु मुख्य सडक को सम्मिलित करते हुए रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने हेतु आयोजना शाखा को निर्देशित किया गया है। उक्त के क्रम में कार्यालय रिकॉर्ड में उपलब्ध कमिटमेंट एवम् गुगल प्लान अनुसार उक्त क्षेत्र का सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान तैयार किया गया है। उक्त क्षेत्र जोधपुर-नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग-62 के पूर्व दिशा में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भू-उपयोग मास्टर प्लान अनुसार औद्योगिक है। उक्त क्षेत्र के दक्षिण दिशा में सुरपुरा बांध है तथा पूर्व दिशा में सुरपुरा बांध को जोडती हुई नहर अवस्थित है। प्रस्तावित सेक्टर प्लान की सीमाएँ निम्नानुसार है।

- पूर्व-132 के.वी. एच.टी. लाईन
- पश्चिम-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62
- उत्तर- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 62 व सुरपुरा बांध को जोडने वाला जंक्शन

- दक्षिण –सुरपुरा बाईपास 60 मीटर चौड़ा इस सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान में 18 मीटर व 24 मीटर की सड़के प्रस्तावित की गयी है।

उक्त प्रकरण को दिनांक 16.06.2022 को आयोजित प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ रखा गया। जिसके अन्तर्गत प्रस्ताव संख्या 19 में उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रकरण कार्यकारी समिति की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण बैठक में प्रारूप रोड नेटवर्क प्लान पर प्राधिकरण की बैठक में अनुमोदन होने के उपरान्त आमजन से 30 दिवस की अवधि में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए रखे जाने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 16.06.2022 को एजेण्डा संख्या 19 पर उक्त प्रस्ताव को स्वीकृत/अनुमोदन करने की अभिशंषा के साथ आगामी प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्राधिकरण की दिनांक 17.08.2022 को आयोजित बोर्ड बैठक के एजेण्डा संख्या 2 पर बैठक में बाद विचार विमर्श उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.09.2022 को लोक-सूचना जारी की गयी तथा जोन की रिपोर्ट अनुसार निश्चित अवधि में कोई उजर एतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय के सेक्टर रोड नेटवर्क प्लान प्राधिकरण बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: जोधपुर एयरफोर्स (रक्षा मंत्रालय) द्वारा जारी कलर कोडेड जोनिंग मेप (CCZM) में रेड, ब्ल्यू व पिंक जोन में अवस्थित भूखण्डों पर भवन निर्माण से पूर्व एयरफोर्स से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने बाबत।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोधपुर एयरफोर्स (रक्षा मंत्रालय) द्वारा जारी कलर कोडेड जोनिंग मेप (CCZM) में रेड, ब्ल्यू व पिंक जोन में अवस्थित भूखण्डों पर भवन निर्माण से पूर्व एयरफोर्स से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने बाबत।

जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन हेतु जारी कलर कोडेड जोनिंग मेप (CCZM) में विभिन्न जोन (रेड, ब्ल्यू, पिंक व येलो जोन) निर्धारित किये गये हैं। रेड जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण किये जाने से पूर्व एयरफोर्स की अनापत्ति आवश्यक होती है तथा ब्ल्यू व पिंक जोन में कमशः 223 मीटर AMSL तथा 243 मीटर AMSL से अधिक ऊँचाई के भवनों के निर्माण से पूर्व एयरफोर्स की अनापत्ति आवश्यक होती है।

जोधपुर में एयरफोर्स स्टेशन होने के कारण भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करने से पूर्व अनापत्ति प्राप्त किये जाने में लगभग 2-3 माह का समय लगता है, एवम् अधिकांश आवेदकों को

अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया की जानकारी नही होने के कारण भवन निर्माण स्वीकृत जारी करने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

जोधपुर में लगभग 7222 हेक्टेयर क्षेत्रफल रेड जोन के अंतर्गत आता है तथा प्राधिकरण में रेड जोन में प्राप्त विभिन्न प्रकरणों में भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन किए जाने पर आवेदकों को पृथक-पृथक रूप से एयरफोर्स की एन.ओ.सी. हेतु विंग कमाण्डर/ग्रुप केप्टन, कमाण्ड एटीसी ऑफिसर, HQ SWAC IAF,VSN CHILODA, Gandhinagar Gujarat में आवेदन किया जाता है जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में भवन निर्माण अनुज्ञा के प्रकरणों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है।

साथ ही उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने हेतु अधिक समय लगने एवं अनापत्ति प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त व्यय के कारण स्थानीय जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण समय-समय पर स्थानीय जन-प्रतिनिधियों के द्वारा भी इस समस्या का निराकरण करने हेतु प्राधिकरण को निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि रेड जोन में कम क्षेत्रफल के भूखण्डों/अल्प आय वर्ग द्वारा केवल भू-तल हेतु आवेदन किए जाने पर भी आवेदक एयरफोर्स की अनापत्ति की बाध्यता होती है जबकि आस-पास के क्षेत्र में पूर्व में ही बहुमंजिला भवनों का निर्माण हो रखा है।

हाल ही में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जोधपुर प्रवास पर आम जनता द्वारा इस संबंध में अवगत करवाया गया था तथा स्थानीय अखबारों द्वारा उक्त मुद्दे को भी विस्तृत रूप से प्रकाशित किया गया है (प्रति संलग्न)।

प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान राज्य सरकार से प्रदत्त निर्देशों के अनुसार पट्टा विलेख जारी किये जाने के साथ-साथ ही भवन निर्माण अनुज्ञा भी जारी की जानी अपेक्षित है परंतु रेड जोन में भूखण्ड स्थित होने के कारण भवन निर्माण अनुज्ञा पट्टा विलेख के साथ जारी किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में ऑनलाईन पोर्टल पर लगभग 690 प्रकरण में से कई प्रकरण एयरफोर्स की अनापत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदक के स्तर पर लम्बित है।

उक्त के संबंध में प्राधिकरण स्तर से प्राधिकरण की विवेक विहार योजना हेतु पत्र क्रमांक 4369 दिनांक 06.10.2022 द्वारा एयरफोर्स की अनापत्ति के लिए आवेदन किया गया है। (परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न) साथ ही उपरोक्त के संबंध में प्रमुख शासन सचिव महोदय नगरीय विकास विभाग राजस्थान जयपुर को भी पत्र क्रमांक 4343 दिनांक 30.09.2022 द्वारा एयरफोर्स विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करवाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। (परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न)

उपरोक्त तथ्यों एवं आयुक्त जोविप्रा से चर्चानुसार प्रशासन शहरों के संग अभियान के दृष्टिगत आमजन को अधिक से अधिक सुविधा देने हेतु प्राधिकरण क्षेत्र में रेड जोन/ब्ल्यू जोन/पिंक जोन में एयरफोर्स विभाग की अनापत्ति की आवश्यकता होने की स्थिति में भवन निर्माण अनुज्ञा जारी करते समय निम्नानुसार शर्त अंकित किया जाना प्रस्तावित है:-

“प्रार्थी द्वारा सीसीजेडएम के संदर्भ में एयरफोर्स विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने के उपरांत भवन निर्माण करवाया जावेगा।”

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर आगामी 15 दिवस में वायुसेना तथा सेना के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या के समाधान हेतु चर्चा करें तथा उक्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये जाने हेतु सरलीकृत प्रक्रिया निर्धारण बाबत कार्यवाही करें।

प्रस्ताव संख्या 11 :: "कार्य मदेरणा कॉलोनी स्थित रामद्वारा हॉल में अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने का कार्य व अन्य विकास कार्य" में वितीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत प्रावधानों का पुनर्विनियोजन करने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। (FTS JDA/FTS/109784)	"कार्य मदेरणा कॉलोनी स्थित रामद्वारा हॉल में अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने का कार्य व अन्य विकास कार्य" में वितीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत प्रावधानों का पुनर्विनियोजन करने की स्वीकृति का प्रस्ताव। (जोन-उतर-एबी)

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बजट वितीय वर्ष 2022-23 जोन -उतर मे निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया था :-

क्र. सं.	लेखाशीर्षक	स्वीकृत राशि	अब तक जारी प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतिया	उपलब्ध शेष राशि
1.	5005-03-000-(06) अन्य	1000.00 लाख	1031.85 लाख	-31.85 लाख

प्रस्तावित कार्य :-

1. "कार्य मदेरणा कॉलोनी स्थित रामद्वारा हॉल में अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने का कार्य व अन्य विकास कार्य"

उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृतिया जारी करने हेतु रु. 51.60 लाख की आवश्यकता है।

अतः सलग्न प्रपत्र अनुसार बजट पुनर्विनियोजन किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

Budget Re-appropriation Statement
Year 2022-23
(Zone-North-AB)

Source of Re appropriation			Destination of Re appropriation							
S.no	Name of Head	Available (Amt. in Lakh)	Re-appropriation (Amt. in Lakh)	Remaining Budget Amount in Lakh	S.no	Name of Head	Available Budget Amount in Lakh	Add Amount from Re appropriation in Lakh	Total Amount after Re appropriation in Lakh	Chargeable work
1	5002-03-011-(01) पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विहार योजना (आंगणवा) सड़क निर्माण कार्य	100.00 Lakh	51.60 Lakh	49.40 Lakh	1	5005-03-000-(06) शहरी क्षेत्र में विकास कार्य सामुदायिक, पार्क, अन्य विकास कार्य	-31.85 Lakh	51.60 Lakh	19.75.00 Lakh	5005-03-000-(06) मदेरणा कॉलोनी स्थित रामद्वारा हॉल में अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने का कार्य व अन्य विकास कार्य।

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बजट पुनर्विनियोजन का उपरोक्तानुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वीकृत प्रावधानों का पुनर्विनियोजन करने बाबत प्रस्ताव (जोन पूर्व)

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संमंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	2	3
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।	बजट पुनर्विनियोजन अनुमोदन की अनुशंषा की जाती है।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बजट वित्तीय वर्ष 2022-23 जोन पूर्व में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया था :-

क्र.सं.	लेखाशीर्षक	स्वीकृत राशि	अब तक जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिया	उपलब्ध शेष राशि
1.	5005-01-000-(06) अन्य	400.00 लाख	318.79 लाख	81.21 लाख
2.	5006-01-000-(01) (सड़क)	1000.00 लाख	596.95 लाख	403.05 लाख
3.	5006-01-000-(06) (अन्य)	300.00 लाख	56.20 लाख	243.80 लाख
4.	5005-01-000-(01) (सड़क)	1000.00 लाख	670.65 लाख	329.35 लाख

जाई

प्रस्तावित कार्य :-

1. शाला कीडा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान मे वॉक-वे (वेलनेस ट्रेक) एवं परिसर के जीणोद्वार का कार्य।

2. जोन पूर्व के शहरी क्षेत्र एवं प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार मे माननीय विधायक महोदय की अनुशषा पर विभिन्न प्रस्तावित कार्य।

उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतिया जारी करने हेतु रू. 1830.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः सलग्न प्रपत्र अनुसार बजट पुनर्विनियोजन किये जाने की अनुशषा की जाती है।

JODHPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JODHPUR

Budget Re-appropriation Statement (Zone East)

Year (2022-23)

Source of Reappropriation				Destination of Reappropriation						
S. No	Name of Head	Availab le (Amt. in Lakh)	Re-appropriati on (Amt. in Lakh)	Bal.	S.no	Name of Head	Availab le (Amt. in Lakh)	Re-appropriati on (Amt. in lakh)	Total after Re-app	Chargeab le work
1.	विजयरा जे नगर योजना 5002-01-001 (04)	300.00 Lakh	250.00 Lakh	50.00 Lakh	1.	शहरी क्षेत्र मे विकास कार्य	81.21 Lakh	950.00 Lakh	1031.21 Lakh	1. शाला कीडा संगम केन्द्र, गौशाला मैदान मे वॉक-वे (वेलनेस ट्रेक) एवं परिसर के जीणोद्वार का कार्य। 2. प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार मे विधायक महोदय की अनुशषा पर विभिन्न प्रस्तावित कार्य।
2.	मोगडा कला कर्मचारी आवासीय योजना 5002-01-002 (03)	300.00	200.00	100.0	2.	प्राधिकरण क्षेत्राधिकार मे विकास कार्य	403.05	400.00	803.0	
	5002-01-002 (04)	300.00	200.00	0						
	5002-01-002 (05)	300.00	300.00	0						
3.	प्रस्तावित नदीन योजना 5002-01-002 (03)	300.00	300.00	0.00			243.80	280.00	5	
	5002-01-002 (04)	300.00	300.00	0.00			5006-01-000-01 (सडक)	583.8	0	
4.	खसरा नम्बर 388 मण्डोर	80.00 Lakh	80.00 Lakh	0.00		5006-01-000-06			0 Lakh	

	योजना 5002- 03- 003 (02)					(अन्य)			
5.	NRI योजना 5002- 02- 020 (04) 5002- 02- 020 (05)	100.00 100.00 Lakh	100.00 100.00 Lakh	0.00 0.00	3.	शहरी क्षेत्र में विकास कार्य 5005- 01- 000- (01) (सडक)	329.35 Lakh	200.00 Lakh	529.3 5 Lakh
Total		1830.00 lakh			Total		1830.00 lakh		

निर्णय

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बजट पुनर्विनियोजन का उपरोक्तानुसार अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

इसके पश्चात् बैठक में उपस्थित निदेशक-आयोजना द्वारा अवगत कराया गया कि निम्नलिखित प्रस्ताव एजेण्डा बुक में सम्मिलित नहीं हुआ है। अतः निम्नलिखित एजेण्डा को बैठक में सम्मिलित किया जाकर निर्णित किया जाना उचित होगा। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित एजेण्डा को बैठक में सम्मिलित कर निर्णित करने का निर्णय लिया गया। जो निम्नानुसार है।

प्रस्ताव संख्या 13 :: नगर निगम उत्तर के क्षेत्राधिकार में स्थित विशेष सडकों के मार्गाधिकार पुनःनिर्धारण के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र का मास्टर डवलपमेंट प्लान (2013-2031) को प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17.02.2021 में अनुमोदन उपरान्त प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 24 के तहत दिनांक 18.02.2021 को अधिसूचित कर लागू किया गया, जिसमें नगर निगम उत्तर का अधिसूचित क्षेत्र भी सम्मिलित है।

जोधपुर नगरीय क्षेत्र 2031 को कुल 18 योजना क्षेत्र व 3 ग्रोथ सेन्टर्स में विभाजित किया जाकर वर्तमान में 10 योजना क्षेत्रों के जोनल डवलपमेंट प्लान अंतिम रूप से अधिसूचित कराये जा चुके हैं। उक्त 10 योजना क्षेत्रों में नगर निगम दक्षिण एवम् नगर निगम उत्तर के 2 जोनल डवलपमेंट प्लान भी सम्मिलित हैं। नगर निगम उत्तर के क्षेत्राधिकार के जोनल डवलपमेंट प्लान का कार्य सम्बन्धित नगर निगम के तकनीकी/वित्तीय/प्रशासनिक सहयोग से जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 23 के तहत तैयार किया जाकर धारा 24 के तहत दिनांक 28.04.2022 को अधिसूचित कर लागू किया गया।

प्राधिकरण बैठक दिनांक 13.04.2022 के प्रस्ताव संख्या 03 में लिये गये निर्णय के क्रम में नगर निगम उत्तर के जोनल डवलपमेंट प्लान में अंकित चार विशेष सडकों के मार्गाधिकार का विस्तृत परीक्षण करने हेतु दिनांक 12.05.2022 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार उक्त सडकों पर पूर्व में सक्षम स्तर पर किये गये कमिटमेंट के सन्दर्भ में जोनल डवलपमेंट प्लान पर मूल दस्तावेज अनुसार कमिटमेंट का आकार व सडक की चौड़ाई अंकित करते हुए उपायुक्त व उप नगर नियोजक स्तर से प्रमाणित कर 1.4000 के पैमाने पर दर्शाते हुए मानचित्र 7 दिवस में प्राधिकरण कार्यालय को प्रेषित करने हेतु सन्दर्भित पत्र द्वारा निवेदन किया गया था।

विशेष सडकों के मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित मार्गाधिकार निम्नानुसार है :-

	विशेष सडक का नाम/विवरण	मास्टर प्लान 2023 अनुसार	मास्टर प्लान 2031 अनुसार
क्रम संख्या	1	2	3
1	एन. एल. यू से आसू जी की प्याउ तक		
1 (a)	आसू जी की प्याउ से सिलवर ओक	80-120 फीट	100 फीट
1 (b)	सिलवर ओक से नयापुरा	80-120 फीट	100 फीट
1 (c)	नयापुरा से हंसलाव की पाल	80-120 फीट	100 फीट
1 (d)	हंसलाव की पाल से व्यास कृषि फार्म खोखरिया	80-120 फीट	100 फीट
1 (e)	व्यास कृषि फार्म खोखरिया से एन.एल.यू	80-120 फीट	100 फीट
2	मंडोर थाना से गोकुल जी की प्याउ होते हुये रामसागर तिराहा तक		
2 (a)	मंडोर थाना से पीथाराम बाग	120-160 फीट	120 फीट
2 (b)	पीथाराम बाग से गोकुल जी की प्याउ	120-160 फीट	120 फीट
2 (c)	गोकुल जी की प्याउ से भाटी चौराहा तक	80-120 फीट	100 फीट
2 (d)	भाटी चौराहा से एस.बी.आई तक	80-120 फीट	100 फीट
2 (e)	एस.बी.आई से रामसागर तिराहा तक	80-120 फीट	100 फीट
3	कृषि मंडी से किशोरबाग तक	160-200 फीट	160 फीट
4	माता का थान से सुरपुरा बाइपास तक	160-200 फीट	200 फीट

नगर निगम उत्तर के जोनल डवलपमेंट प्लान में अंकित चार विशेष सडकों के मार्गाधिकार का नगर निगम उत्तर स्तर पर निर्धारण करने के संबंध में निम्न तथ्य अवलोकनीय है :-

01. उक्त विशेष सडके नगर निगम उत्तर के क्षेत्राधिकार में स्थित है।
02. राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की नगर विकास की धारा 156 के तहत नगर विकास योजना तैयार करना, धारा 159 के तहत नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजना तथा अन्य योजनाए तैयार करना, धारा 160 के तहत योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, धारा 162 के तहत योजना का पश्चात्वर्ती उपातरण एवम् धारा 163 के तहत योजना के क्रियान्वन की शक्तियाँ नगर निगम के क्षेत्राधिकार में नगर निगम को निहित है।
03. राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर पालिका (जोनल डवलपमेंट प्लान) नियम 2021 दिनांक 20.09.2021 को अधिसूचित किये जा चुके है जिसके अनुसार जोनल डवलपमेंट प्लान के अनुमोदन एवम् मोडिफिकेशन की समस्त शक्तियाँ संबंधित निकाय को प्रदत्त की जा चुकी है।
04. नगर निगम की सीमा में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 183 के तहत नगरीय क्षेत्रों में सडकों/गलियों/रास्तों की चौडाई निर्धारित कर मार्गाधिकार अधिसूचित किये जाने हेतु वैधानिक प्रावधान किया हुआ है।
05. नगरीय विकास एवम् स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक टी.पी.आर.1020/ए.सी.टी.पी(ई)/राज्य सरकार/2020/पार्ट-III/7847-75 दिनांक 04.08.2021 के द्वारा नगरीय क्षेत्र में अवस्थित सडकों बाबत् सडक मार्गाधिकार निर्धारण एवम् सडकों के नामकरण बाबत् निर्देश प्रदान किये गये है।
06. शहरों के अन्दर के राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग व अन्य सडकों के मार्गाधिकार पुनः निर्धारण कर पट्टे देने के संबंध में हाल ही में दिनांक 14.07.2022 को नगरीय विकास विभाग राज0

जयपुर द्वारा आदेश जारी किये गए है। जिसमें सड़कों के मार्गाधिकार का पुनः निर्धारण स्थानीय एम्पावर्ड समिति द्वारा किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

उपरोक्त के कम में नगर निगम स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जा कर विशेष सड़को का मार्गाधिकार निर्धारण सक्षम स्तर से किया जा कर तदानुसार प्राधिकरण को अवगत कराने हेतु पत्र क्रमांक 3465 दिनांक 03.08.2022 प्रेषित किया गया था।

प्राधिकरण पत्र दिनांक 03.08.2022 के संदर्भ में नगर निगम उत्तर के पत्र क्रमांक 10440 दिनांक 04.10.2022 द्वारा अवगत करवाया गया है कि निगम की एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 14.09.2022 में विशेष सड़को के मार्गाधिकार पुनःनिर्धारण हेतु लिये गये निर्णय अनुसार मास्टर डवलपमेंट प्लान में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही करने बाबत निवेदन किया गया है।

मास्टर डवलपमेंट प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान के मोडिफिकेशन के संबंध जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 25(3) से 25(6) में निम्नानुसार उल्लेख है:-

25. Subsequent modification of Plans. -(3) The Authority or the **Municipal Corporation, Jodhpur**, or any other body or Committee, as may be authorised by the State Government in this behalf, may, in order to promote planned development of any part of the Jodhpur Region in more efficient manner, make such modification in land use of the Plan for such area, as may be specified by the State Government by notification in the *official Gazette*.

(4) Before making any modification to the Plan. The Authority, Municipal Corporation, Jodhpur or any other body or Committee shall publish a notice, in such form and manner as may be determined by regulation inviting objection before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by the Authority, Municipal Corporation, Jodhpur or any other body or Committee.

(5) Every modification made under the provisions of this section shall be published and the modification shall come into operation either on the date of publication or on such date as the Authority, Municipal Corporation, Jodhpur or any other body or Committee may fix by notice published in the *official Gazette* whereupon the modified Plan shall come into operation to all interests and for all purposes of this Act.

(6) Upon coming into operation of any modified Plan, any reference in any other section except in the foregoing sections of this Chapter, to the Master Development Plan or to the Zonal Development Plan shall be construed as a reference to the Master Development Plan or as the case may be a Zonal Development Plan as modified under the provisions of this section.

नगर निगम उत्तर के एम्पावर्ड समिति के निर्णय की प्रति संलग्न कर प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में विचार विमर्श के दौरान आयुक्त जो.वि.प्रा. द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत नगर निगम अपने स्तर पर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सड़को के मार्गाधिकार का निर्धारण किया जाकर तदानुसार नगर निगम क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन कर अधिसूचना जारी की जा सकती हैं। मास्टर प्लान की सड़को के मार्गाधिकार कई स्थानों पर 100' के स्थान पर 30' निर्धारित किये गये हैं जो कि नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं हैं एवं मार्गाधिकार निर्धारण करने से पूर्व आपत्ति सुझाव भी आमंत्रित किये जाने अपेक्षित हैं।

महापौर महोदया नगर निगम उत्तर द्वारा अवगत करवाया गया कि मास्टर डवलपमेंट प्लान एवं जोनल डवलपमेंट प्लान जो.वि.प्रा. द्वारा तैयार किया गया है अतः संशोधन की कार्यवाही भी जो.वि. प्रा. स्तर पर ही की जानी उचित होगी। महापौर महोदया द्वारा यह भी अवगत करवाया गया है कि निगम की एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 14.09.2022 में विशेष सड़को के मार्गाधिकार पुनःनिर्धारण के संबंध में आमजन से आपत्ति सुझाव प्राप्त कर मौके की स्थिति अनुसार ही सड़कों के मार्गाधिकार का निर्धारण किया गया है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गये:-

1. नगर निगम उत्तर से आपत्ति सुझाव की रिपोर्ट प्राप्त कर एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 14.09.2022 में विशेष सड़कों के मार्गाधिकार के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जावे।
2. नगर निगम के द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में अधिसूचित जोनल डवलपमेंट प्लान में संशोधन की कार्यवाही संबंधित नगर निगम के द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए राजस्थान नगर पालिका (जोनल डवलपमेंट प्लान) नियम 2021 दिनांक 20.09.2021 के प्रावधानों के तहत की जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह बैठक कार्यवाही विवरण पत्रावली (बैठक शाखा/2022/भाग-10 प्राधिकरण की बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 7.0/एन. में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित है)

(उल्लेखनीय है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण (कार्य संचालन) विनियम, 2014 के नियम 12 (2) में प्रावधान है कि यदि बैठक में उपस्थित पचास प्रतिशत या इससे अधिक सदस्य कार्यवृत्त प्राप्ति के सात दिवस के भीतर किसी विशिष्ट विनिश्चय या विनिश्चयों का कार्यवृत्त या उसके किसी भाग के गलत तथा/ या त्रुटिपूर्ण अभिलेखन के आधार पर आपत्ति करें और निवेदन करे कि उक्त विनिश्चय या विनिश्चयों का क्रियान्वयन रोक दिया जावेगा और अगली बैठक में ऐसे विनिश्चय लिये जाने तक क्रियान्वित नहीं किया जावेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के पच्चीस प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु पचास प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें और उसके या उनके प्रवर्तन को रोकने के लिए निवेदन करें तो अध्यक्ष, यदि वह उचित समझे, अगली बैठक तक, जब प्रश्न विनिश्चय के लिए रखा जायेगा, क्रियान्वयन रोक सकेगा। यदि उपस्थित सदस्यों के बीस प्रतिशत से कम सदस्य उपयुक्त रूप से किसी विनिश्चय या विनिश्चयों पर आपत्ति करें तो उनकी आपत्ति या आपत्तियां विनिश्चय के लिए अगली बैठक में रखी जावेगी। कार्यवृत्त जब तक कि रोक या उलट न दिया गया हो, संशोधन या उपान्तरित न कर दिया गया हो, पीठासीन सदस्य तथा सचिव के हस्ताक्षरों के पश्चात् पुष्ट किया हुआ समझा जायेगा। परन्तु विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण, संशोधन या उनके उलटे जाने से विनिश्चय या विनिश्चयों में ऐसे उपान्तरण/संशोधन या उनके उलटे जाने से पूर्व की गई किसी बात या कार्यवाही पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा)

(जय नारायण मीणा)
सचिव


क्रमांक/बैठक/2022/भाग(10)/1750-1768

दिनांक :: 28 अक्टूबर, 2022

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 2- महापौर (उत्तर/दक्षिण) महोदय, नगर निगम, जोधपुर
- 3- जिला प्रमुख महोदय, जिला परिषद, जोधपुर
- 4- जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
- 5- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउंसिल (आरएजेआरईडीसीको), 307, पिक टॉवर, नेहरू गार्डन के सामने, टॉक रोड, जयपुर
- 6- संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 7- आयुक्त, नगर निगम-उत्तर/दक्षिण, जोधपुर
- 8- अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
- 9- मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
- 10- प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

- 11- उप आवासन आयुक्त-प्रथम/द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर
- 12- वरिष्ठ नगर नियोजक/उप नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर
- 13- निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 14- निदेशक- अभियांत्रिकी/ आयोजना/ वित्त/ विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 15- उपायुक्त-पूर्व/पश्चिम/उत्तर/दक्षिण/मुख्यालय, उप सचिव, भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 16- अधीक्षण अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 17- एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
- 18- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
- 19-


 (जय नारायण मीणा)
 सचिव

श्री कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस., संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय स्थित उनके कक्ष में दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 को मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे आयोजित प्राधिकरण की बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण

1. श्रीमती कुन्ती परिहार, महापौर, नगर निगम, जोधपुर-उत्तर
2. श्री अवधेश मीणा, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री रोहित कुमार, अतिरिक्त कलक्टर-तृतीय, जोधपुर
4. श्री ओ.पी. सुथार, अधीक्षण अभियन्ता (सिटी), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
5. श्री जगदीश चन्द्र व्यास, अधीक्षण अभियन्ता (सिटी), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
6. श्री आर.एस. भाटी, उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, I एवं II, जोधपुर
7. श्री योगेश कुमार, उप नगर नियोजक, कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर
8. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक-अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक-आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक-विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री रवीन्द्र कुमार, उपायुक्त-दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री सुरेन्द्र सिंह पुराहित, उप सचिव एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री श्रवण कुमार, उपायुक्त-उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री जय नारायण, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर